भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1321

08.12.2025 को उत्तर के लिए

महाराष्ट्र में सीआरजेड उल्लंघनों की निगरानी

1321. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदेः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को हाल के वर्षों में महाराष्ट्र राज्य में तटीय नियमन क्षेत्र (सीआरजेड) के उल्लंघन की कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो गत पांच वर्षों के दौरान सूचित किये गए ऐसे मामलों की जिला-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (एमसीजेडएमए) के समन्वय से कोई निरीक्षण या क्षेत्र सत्यापन किया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं; और

(ङ) क्या अवैध तटीय निर्माणों के विरुद्ध निगरानी एवं प्रवर्तन को सुदृढ़ करने हेतु कोई निर्देश जारी किए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख) : महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (एमसीजेडएमए) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2019 से दर्ज तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) में होने वाले उल्लंघनों का जिला-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

जिला	**वर्ष 2019 से दर्ज मामलों की संख्या**
मुंबई सिटी	58
मुंबई उपनगरीय	249
ठाणे	170
पालघर	61
रायगढ़	132
रत्नागिरी	36
सिंधुदुर्ग	45
कुल	**751**

(ग) से (ङ) : महाराष्ट्र सरकार ने तटीय विनियमन क्षेत्र संबंधी उल्लंघनों के मामलों की पहचान करने और उनके संबंध में कार्रवाई करने के लिए दिनांक 23/03/2011 के सरकारी संकल्प के माध्यम से जिला तटीय क्षेत्र निगरानी समितियों (डीसीजेडएमसी) का गठन किया है। डीसीजेडएमसी को तटीय विनियमन क्षेत्र संबंधी उल्लंघनों के मामलों में निरीक्षण और क्षेत्रीय सत्यापन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अलावा, दिनांक 12/06/2021 को रत्नागिरी में एमसीजेडएमए अधिकारियों के साथ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा स्थल निरीक्षण किए गए थे और स्थल निरीक्षण के निष्कर्षों के आधार पर उल्लंघनकर्ताओं को 'कारण बताओ' नोटिस जारी किए गए थे।

सीआरजेड अधिसूचना, 2019 के अनुसार, इस अधिसूचना के प्रवर्तन और निगरानी के लिए राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के सीजेडएमए मुख्य रूप से ज़िम्मेदार होंगे। इस कार्य में सहायता के लिए, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित ज़िला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में ज़िला-स्तरीय समितियों का गठन करेंगे, जिनमें मछुआरों सहित स्थानीय पारंपरिक तटीय समुदायों के कम से कम तीन प्रतिनिधि शामिल होंगे। महाराष्ट्र राज्य पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने दिनांक 15/03/2024 को सीआरजेड से संबंधित उल्लंघनों का समाधान करने और डीसीजेडएमसी को संवेदनशील बनाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है।

इसके अलावा, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5, 10 और 19 के तहत एससीजेडएमए को सीआरजेड अधिसूचना के प्रावधानों का प्रवर्तन करने और उनकी निगरानी करने का अधिकार दिया गया है। मंत्रालय समय-समय पर उल्लंघनों को अभिज्ञात करने और उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए एससीजेडएमए को निर्देश भी जारी करता रहा है। राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (एनसीजेडएमए) ने 26/09/2025 को आयोजित अपनी 48वीं बैठक में उक्त मामले पर विचार-विमर्श किया और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सीजेडएमए को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5, 10 और 19 के तहत सभी तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पहले से ही प्रदत्त शक्तियों के अनुसार ऐसे उल्लंघनों के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

*****